

भारत सरकार/Government of India
भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण/ Fishery Survey of India
द्वितीय माला, प्लॉट नं. 2 ए, 2nd Floor, Plot No. 2 A,
युनिट नं. 12, न्यू फिशिंग हार्बर, Unit No.12, New Fishing Harbour,
ससुन गोदी, कुलाबा/Sassoon Dock, Colaba,
मुम्बई/Mumbai-400 005

मि.सं. 13-3/2004-स्था-I

दिनांक: 12.04.2018

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय: भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुख्यालय, मुम्बई में अप्रयोज्य, पुराना भंडार, फर्नीचर, इत्यादि को अनुपयोगी घोषित करने हेतु समिति के गठन के संबंध में।

Sub: Condemnation of unserviceable, obsolete stores, spares, furniture, etc. of the Fishery Survey of India, Mumbai (Hqrs.) – Constitution of the Committee – reg.

सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 124(1)(i) व (ii) में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार, उपर्युक्त विषय पर निम्नलिखित अधिकारियों सहित एक समिति तत्काल प्रभाव से गठित की जाती है।

In accordance with the instructions contained in Rule 124(1)(i) and (ii) of General Financial Rules, 1963, a Committee on the subject consisting of the following officers is hereby constituted.

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1. श्री रमण मूर्ति एन. वि., तंत्र विश्लेषक/डी.डी.ओ.
Shri Ramana Murthy N. V., System Analyst/DDO | - | अध्यक्ष
Chairman |
| 2. श्री बी.बालानायक, सेवा अभियंता (यांत्रिकी)
Shri B. Balanayak, Service Engineer (M) | - | सदस्य
Member |
| 3. सहायक लेखा अधिकारी
Asstt Accounts Officer | - | सदस्य
Member |
| 4. श्री अशोक कुमार खीता, यांत्रिक पर्यवेक्षक (व.)
Shri Ashok Kumar Khita, Mech. Supervisor (Sr.) | - | सदस्य
Member |
| 5. श्रीमती एम. के. श्रीमती, व. प्रशासनिक अधिकारी
Smt. M.K. Sreemathy, Sr. Administrative Officer | - | सदस्य/ संयोजक
Member/Convener |

विचारार्थ विषय/TERMS OF REFERENCE:

1. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुख्यालय, मुम्बई के विभिन्न मदों के पुराने भंडार, पुर्जे, फर्नीचर, इत्यादि को बेकार/फालतू/अनुपयोगी घोषित करने हेतु जांच करना एवं सिफारिश करना।
To examine and recommend declaration of various items of stores, spares, furniture, etc. of the Fishery Survey of India, Mumbai (Hqrs.) as obsolete/surplus/unserviceable.
2. अनुपयोगी के लिए सिफारिश किए गए मदों के संबंध में आरक्षित मूल्य का निर्धारण करना।
To assess the reserve price in respect of the items recommended for the condemnation.


(डा. एल रामलिंगम)

उप महानिदेशक (मात्स्यिकी)/
महानिदेशक (प्रभारी)

To,
All the members
Copy to:
GC Section